

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर

अनवान शिवचरण सिंह बनाम गुरुचरण सिंह आदि
 प्रकरण संख्या 62 / 2009 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जोड़ पालक
24 ⁰⁹ / ₂₅	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी हेतु सज्ज पाता। अतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 26/09/25 को पेश हो।	
26 ⁰⁹ / ₂₅	अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र नोटप्रेस किया व प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम नोटप्रेस किया। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता व वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिनाज्ज वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RTA व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम नोटप्रेस करने पर खारिज किए जाते हैं। पत्रावली गिनती दोफर गन्वर से कम दोफर वाखिल फुतर हो।	

Not less
 काउन्टर
 श्रीगंगानगर
 26/09/25
 [Signature]
 [Signature]
 Counter claim
 not pressed
 [Signature]
 गुरुचरण सिंह



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)